निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 76/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

कमली देवी पत्नी ज्ञानाराम जाति जाट निवासी ग्राम बुद्वसिंहपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री हिम्मत सिंह आर.ए.एस. पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय ।
2. अन्जू पुत्री कृष्ण
3. जगदीश पुत्र भूरा
4. पदमा पुत्री कृष्ण
5. मुकेश पुत्र कृष्ण
6. मन्नी देवी पत्नी कृष्ण
7. ओम प्रकाश पुत्र मंगलराम
8. कल्ली देवी पत्नी मंगलराम

   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम रामसिंहपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।
9. बिरदी चन्द पुत्र भूरा
10. रामनारायण पुत्र लक्ष्मीनारायण
11. शंकर पुत्र मंगलराम
12. हजारी पुत्र लक्ष्मीनारायण
13. प्रहलाद पुत्र लक्ष्मीनारायण

    समस्त जाति जाट, निवासी ढाणी कलालिया, ग्राम रामसिंहपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 149/2023 एवं प्रार्थना पत्र संख्या 129/2023 ब उनवानी कमली देवी बनाम अंजू देवी व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री धर्मवीर सिंह अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री मनोज चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 9 की ओर से ।

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय दिनांक 08.10.2024

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष प्रकरण संख्या 149/2023 एवं प्रार्थना पत्र संख्या 129/2023 व उनवानी कमली देवी बनाम अंजू देवी व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 9 की ओर से वकील श्री मनोज चौधरी उपस्थित है।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त प्रकरण मे अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के अन्तिम निर्णय करने हेतु पत्रावली को बहस हेतु नियत की गई। दिनांक 20.06.2024 को प्रार्थिया जब न्यायालय में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में अन्तिम बहस हेतु जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुई तो अप्रार्थी संख्या 9 व उसके पुत्र ने प्रार्थिया को धमकी दी कि हमारी एस डी ओ साहब से बात हो चुकी है वो शीघ्र ही तुम्हारे स्टे को खारिज कर देंगे तथा मैं शीघ्र ही भूमि को खरीद लूंगा । तत्पश्चात प्रार्थिया द्वारा उक्त घटना से अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को अवगत करवाया, तो पीठासीन अधिकारी ने कहा कि आप या तो अप्रार्थी संख्या 9 से राजीनामा कर लो, नही तो मैं उक्त स्टे को खारिज करूंगा। क्योंकि मेरे ऊपर राजनैतिक दवाव है जिससे प्रार्थिया को यह पूर्ण अन्देशा है कि अप्रार्थी संख्या 1 पूर्व में जारी स्टे को खारिज कर अप्रार्थी संख्या 9 को अनुचित लाभ पहुंचा सकते है जिससे प्रार्थिया को अपूर्तनीय क्षति कारित हो सकती है और प्रार्थिया की खातेदारी की जमीन से बेदखल कर कब्जा कर सकते है। अप्रार्थीगण की उक्त हरकतों को देख कर प्रार्थिया आश्चर्यचकित हो गई । जब अप्रार्थी संख्या 9 अप्रार्थी संख्या 1 से मिल गये है तो फिर प्रार्थिया को न्याय प्रात होना असम्भव है। इस प्रकार प्रार्थिया को उक्त न्यायालय से न्याय प्राप्ति की कोई उम्मीद नहीं रही है । ऐसी स्थिति में उक्त मामले को अन्य न्यायालय मे निस्तारण हेतु ट्रान्सफर किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 9 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये कथन किया कि प्रार्थिया ने अधीनस्थ न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर रखा है। इस कारण लम्बी लम्बी तारीख पेशी लेने का प्रयास करती रहती है। प्रकरण के निस्तारण में येनकेन प्रकारेण विलम्ब करती चाहती है और इसी मंशा से झूंठे एवं काल्पनिक तथ्यों के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थिया द्वारा अपने पक्ष में अधीनस्थ न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया हुआ है और प्रार्थिया द्वारा ही पीठासीन अधिकारी से न्याय में शंका जाहिर कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो परस्पर विरोधाभाषी है। प्रार्थिया ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नही है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 08.10.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)